

बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के
नग्न भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण
के अनुमत क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़
गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक
30-05-2001.



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 575]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर 2022 — भाद्रपद 23, शक 1944

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 सितम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-98/2017/सात-1.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 59 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, पुनर्निर्धारण से निम्नानुसार छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

“नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को पांच एकड़ से अधिक भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुनर्निर्धारण से 50% छूट होगी तथा निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों को न्यूनतम 25 एकड़ भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुनर्निर्धारण से 90% छूट होगी.

परन्तु यह और कि सरगुजा एवं बस्तर संभाग में, निजी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 20 एकड़ भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुनर्निर्धारण से 90% छूट होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 14th September 2022

NOTIFICATION

No. F 4-98/2017/Seven-1 .— In exercise of powers conferred by the first proviso of sub-section (2) of Section 59 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, provides the following exemptions from the re-assessment, namely:-

“The new micro and small industries shall be exempted 50% from the re-assessment if the land not exceeding five acres is diverted and private industrial areas/industrial parks shall be given 90% exemption from re-assessment if a minimum 25 acres of land is diverted.

Provided further that, in Surguja and Bastar division, private industrial areas shall be given 90% exemption from re-assessment if a minimum 20 acres of land is diverted.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.